छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक /1591/ 60 / विज्ञापन / 2014 रायपुर, दिनांक 17 / 10 / 2014

:: Corrigendum ::

विज्ञापन क्रमांक 11/2014/परीक्षा/दिनांक 05.09.2014 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर सहायक प्राध्यापक के विभिन्न 966 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 11 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 05.09.2014 जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.10.2014 थी।

(2) उपरोक्त जारी विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के युगल पीठ के समक्ष विभिन्न रिट याचिकायें (W.P. No. 5201, 5226, 5227, 5257, 5259, 5266, 5268, 5269, 5270, 5271, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5303, 5304, 5316, 5327, 5329, 5336, 5337, 5355, 5356, 5361, 5364, 5365, 5366, 5391, 5428 / 2014 एवं अन्य याचिका) प्रस्तुत की गई हैं।

(3) माननीय उच्च न्यायालय के युगल पीठ ने दिनांक 08.10.2014 एवं 10.10.2014 को अंतरिम आदेश पारित कर सहायक प्राध्यापक के पद हेतु यू.जी.सी. रेगुलेशन वर्ष 2009 के पूर्व के पीएच.डी. धारी आवेदक / हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त आवेदक / एम.फिल. धारी आवेदक, संविदा कर्मचारियों एवं महिला आवेदक जो आयु सीमा में छूट चाहते हैं, जो आयोग के विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

(4) माननीय न्यायालय के उपरोक्त अंतरिम आदेश के पालन में यू.जी.सी. रेगुलेशन वर्ष 2009 के पूर्व के पीएच.डी. धारक, एम. फिल. उपाधि धारक, हायर सेकेण्डरी / स्नातक स्तर में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त आवेदक / छ०ग० शासन के संविदा सहायक प्राध्यापक को जो शिक्षाकर्मियों के समान आयु में छूट की पात्रता रखते हैं / महिला आवेदकों को जो 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हैं (अधिकतम 50 वर्ष तक छूट), एवं अन्य आवेदक जो आवश्यक अर्हता रखते हैं तथा निर्धारित अंतिम तिथि 09.10.2014 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, वे ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29.10.2014 मध्यान्ह 12:00 बजे से 19.11.2014 रात्रि 11:59 बजे तक एवं त्रुटि सुधार दिनांक 20.11.2014 मध्यान्ह 12:00 बजे से 26.11.2014 रात्रि 11:59 बजे तक कर सकेंगे। विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) आवेदकों से माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के पालन में लिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के प्रकरणों में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। आवेदन पत्र स्वीकार करने मात्र से ही आवेदकों को कोई अर्हता संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

सही / –
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर